न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 102/2018 निर्णय दिनांक :– 5.11.19

उनवान

1. गिर्राज पुत्र जगदीश
2. मुकेश पुत्र जगदीश
3. शोकीन पुत्र जगदीश
4. सुलतान पुत्र जगदीश

जाति मीना, निवासी– ग्राम ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर

–– प्रार्थीगण ––

बनाम

1. छोटू पुत्र रामकरण जाति मीना, निवासी– ताजखांकांबास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज.।
2. सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा, तहसील कोटखावदा, जयपुर।
3. उपपंजीयक शाखा कोटखावदा, जिला जयपुर।

–– अप्रार्थीगण ––

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टे0एक्ट0

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया उपरोक्त शीर्षकीय वाद श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थीगण ने विधिवत प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थगण की सयुकत कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नंबर 304/987 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 305,/988 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 306 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 309 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 310 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 311 रकबा 0.58 है0, खसरा नंबर 312/907 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 314 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 315 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 316 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 317 रकबा 0.42 है0 खसरा नंबर 318 रकबा 0.41 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 3.46 है0 वाके ग्राम ताज खां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है। जो वाद में वादग्रस्त आराजी से संबोधित की गई है। विवादित आराजी में प्रार्थगण का राजस्व रिकार्ड अनुसार हक व हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जो अपने अपने हिस्सो के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने अपने हिस्सेनुसार ही सरकार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

में शामिल में ही लगान अदा करवाते चले आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा निहित है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत रूप से तकासमा नहीं हुआ है यानि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल में ही चली आ रही है। पक्षकारान मौके पर बाहमी बटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा आराजी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का विधिवत तकासमा नहीं होने से अप्रार्थगण आये दिन प्रार्थगण के कब्जे काश्त की भूमि पर दखलदांजी एवं मजाहमत करते रहते है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है तथा काश्त करने से मना करने लग जाते है जिससे प्रार्थगण के लिये आवश्यक हो गया कि वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से का विधिवत तकांसमा करावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करांवे। जिसका प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काश्त का काम कर रहा थे तो दिनांक 30.06.2019 को मिन अप्रार्थीगण आये और प्रार्थीगण को काश्त करने से मना करने लग गये और कहा कि भूमि का तकासमा नहीं हुआ है हम तुम्हारे खेतों पर अब काश्त करेगे। प्रार्थीगण ने बहुत समझाया की मैने काफी पैसे खर्च कर उपजाउ बना रखा है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जबरन नीवे खोद कर निर्माण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कार्य करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा का विधिवत तकासमा करावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वो प्रार्थगण को काश्त करने से नहीं रोके। ना ही बेदखल करे, ना ही किसी तरह की दखलदाजी एवं मजाहमत पैदा न तो स्वंय करे, ना ही भूमि का बेचान करे, ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे, ना ही अन्य से करावे।यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वे अपने नापाक इरादें में कामयाब हो जायेगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तिनीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थाई निशेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वो वादग्रस्त आराजणी खसरा नंबर 304/987 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 305,/988 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 306 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 309 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 310 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 311 रकबा 0.58 है0, खसरा नंबर 312/907 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 314 रकबा 0. 27 है0, खसरा नंबर 315 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 316 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 317 रकबा 0.42 है0 खसरा नंबर 318 रकबा 0.41 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 3.46 है0 वाके ग्राम ताज खां

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर पर बिना विधिवत तकासमा करवाये कब्जा नही करे, ना ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे, बैचान नही करे, प्रार्थीगण को उसके हिस्से से जबरन बेदखल नहीं करें, प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा न डालें, वादग्रस्त आराजी में दर्ज अपने हिस्से का दान, रहन, बेचान, ना ही रोड डाले ना ही किसी प्रकार की कॉलोनियों विकसीत करे, अन्य हस्तान्तरण नही करें तथा अप्रार्थी सं. 02 राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं. 03 विवादित आराजी के किसी भी दस्तावेजो का पंजीयन नहीं करे। प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 को आगामी तारीख तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गयी तो अप्रार्थी संख्या 1 हाजीर अदालत होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 मे प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद मान्य न्यायालय मे पेश करना स्वीकार है, लेकिन उक्त मुकदमे मे प्रार्थीगण को कभी भी सफलता नही मिल सकती है । प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 मे वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 304/987, 305/988,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

306, 309 लगायत 311, 312/907, 314 लगायत 318 कुल किता 12 कुल रकबा 3.46 है0 वाके ग्राम ताज खां का बांस, तहसील कोटखावदा मे स्थितं होना स्वीकार है। जो पक्षकारों की सहखातेदारी भूमि है। जिसके 1/2 भाग का अप्रार्थी सं. 1 छोटू रिकोर्डेड काबिज सहखातेदार, काश्तकार है। प्रार्थना पत्र का पहरा नंबर 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नही है। 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण सहखातेदार है एंव 1/2 हिस्से का अप्रार्थी सं, 1 सहखातेदार है। पक्षकारों ने आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है, उसी अनुसार पचासों वर्षो से काबिज, काश्त चले आ रहे है एवं पक्षकार अपने हिस्से अनुसार शामलात मे लगान अदा करते आ रहे है। खसरा नंबर 318 के मध्य मे. अप्रार्थी के खाम मकान, छप्पर पोश, टीनशेड से बने हुये है, जहां पर अप्रार्थी मय परिवार के पिछले 50 सालो से निवास करता आ रहा है। कच्चे मकान जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर अप्रार्थी पुख्ता मकान बनाना चाह रहा है, क्योकि बरसात का मौसम है ,अप्रार्थी के बाल बच्चों के निवास हेतु काफी समस्या बनी हुयी है। प्रार्थीगण ने पूर्व में एक दावा उनवानी शौकीन बनाम छोटू के नाम से मु0 नं. 98/2019 दिनाक 17.05.2019 को पेश किया , जिसका टी0आई0 प्रार्थना दे मान्य न्यायालय द्वारा मैरिटस पर दिंनाक 24.6.2019 को खारिज कर दिया गया। जिस पर प्रार्थीगण ने तथ्यो को छिपाते हुये

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दिनाक 4.7.2019 को पुनः यह दावा पेश कर दिया है। इसलिये प्रार्थीगण ने वाद नीट एण्ड क्लीन हैन्ड से दावा पेश नही किया है ,ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का वाद मय टी0आई0 प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है । प्रार्थना पत्र के पैरा सं, 4 मे प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी का राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार होना स्वीकार है। भूमि का विधिवत तकासमा नही होना स्वीकार हैं। पक्षकारान मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा आराजी उपज का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है, स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पहरा नंबर 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है । अप्रार्थी प्रार्थीगण के हिस्से मे कोई मजाहमत, दखलन्दाजी नही करता, है , ना ही अप्रार्थी प्रार्थीगण को बेखल करने पर आमदा है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने के अधिकारी नही है । प्रार्थना पत्र का पहरा नंबर 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है । दिनाक 30. 6.2019 की घटना मनगंढत होने के कारण स्वीकार नही है । अप्रार्थी ने प्रार्थी को कभी काश्त करने से मना नहीं किया । प्रार्थी ने जबरन नीवे नही खोदी, बल्कि सही बात यह है कि खसरा नंबर 38 के मध्य में अप्रार्थी के खाम मकान, छप्पर पोश, टीनशेड से बने हुये है, जहां पर अप्रार्थी मय परिवार के पिछले 50 सालो से निवास

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करता आ रहा है । कच्चे मकान जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर अप्रार्थी पुख्ता मकान बनाने के लिये नीवे खुदवा रहा था. तो प्रार्थीगण ने का पोषिदा तथ्यो पर एक दावा उनवानी शौकीन बनाम छोटू मु0 नं0 98/2019 दिंनाक 17.5.2019 को पेश किया , जिसका टी0आई0 प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय द्वारा मैरिटस पर दिंनाक 24.6.2019 को खारिज कर दिया गया । जिस पर प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपाते हुये दिंनाक 4.7.2019 को पुनः यह दावा पेश कर दिया है। जबकि राज0 टे0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मकान बनाना भूमि सुधार की तारीफ मे आता है, इस प्रकरण मे तो अप्रार्थी अपने कब्जेशुदा भूमि पर पुराने मकान के जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण नया मकान बना रहा है । प्रार्थना पत्र का पहरा नंबर 7 स्वीकार नही है । प्रार्थीगण अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने का अधिकारी नही है , ना तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को दखलन्दाजी व मजाहमत नहीं की, न ही भूमि का बेचान करने की धमकी दी । अप्रार्थी अपने पुराने जीर्ण शीर्ण मकान के स्थान पर नया मकान बना रहा है । जिसको रूकवाने के लिये प्रार्थी ने पोषिदा तथ्यो के आधार पर यह दावा पेश किया है, जो काबिले खारिज है । प्रार्थना पत्र का पहरा नंबर 8 जिस प्रकार तहरीर किया गया है. स्वीकार नहीं है। खसरा नंबर 318 के मध्य भाग मे अप्रार्थी के टीनशेड एंव छप्पर पोश से पुराने मकान हुये थे,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जिनमे अप्रार्थी मय परिवार के 50 सालो से निवास करता आ रहा था । पुराने एंव जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर अप्रार्थी पुख्ता मकान बना रहा है । अगर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कर दिया जाता है तो अप्रार्थी के बाल बच्चो एंव परिवार के रहने की समस्या उत्पन्न हो जावेंगी । जिससे अपूर्तनीय क्षति मिन अप्रार्थी को होगी । प्रार्थीगण को कोई क्षति नही होंगी। अप्रार्थी भूमि का रिकोर्डेड काबिज सहखातेदार, काश्तकार है , इसलिये प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थीगण ने पूर्व मे पेश किये गये दावे एंव खारिज हुयी टी0आई0 प्रार्थना पत्र के तथ्यों को छिपाते हुये यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है , इस प्रकार प्रार्थीगण ने नीट एंड क्लीन हैन्ड से दावा पेश नही किया है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है । जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है। कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा – खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें ।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी बिना तकासमा कराये वादग्रस्त भूमि में भवन निर्माण कर रहा है। दावा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तकासमें का है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही कुरेजात प्राप्त हो जावेंगे तकासमें होने के बाद अप्रार्थी अपने हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य करवाये इसमें प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है तकासमा तक अप्रार्थी का पाबन्द फरमावे ताकि मौके पर किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था भंग न हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का कनफर्म किया जावे। जवाब बहस में वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि पक्षकारों ने आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है उसी अनुसार 50 वर्षो से काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 318 के मध्य में अप्रार्थी के खाम मकान टीन शेड से बने हुये है जहां पर मय परिवार 50 वर्षो से निवास कर रहा है। कच्चे मकान जीर्णशीर्ण होने से उनके स्थान पर अप्रार्थी पुक्ता मकान बनाना चाह रहा है। प्रार्थी ने पूर्व में भी एक दावा शैकिन बनाम छोटू मु0न0 98/19 पेश किया जिसकी टी0आई0 दिनांक 24.06.2019 को खारिज कर दी गयी। पुनः तथ्यों को छिपाते हुये यह अस्थाई प्रार्थना पत्र पेश किया इस प्रकार प्रार्थीगण ने नीट एण्ड क्लीन हैण्ड से दावा पेश नही किया इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील पक्षकारान की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो ग्रम ताज खां का बास की जमाबंदी संवत 2072–75 का परीक्षण किया

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

गया तो वादग्रस्त भूमि पे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो अपने अपने हिस्सो के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत रूप से तकासमा नही हुआ है। राजस्व रिकार्ड में शामिल चली आ रही है, पक्षकारान मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व आराजी का उपयोग उपभोग शान्ति पूर्वक कर रहे है, किन्तु अप्रार्थीगण विवादित भूमि का विधिवत तकासमा नही होने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर दखलंदाजी एवं मजाहमत करते रहते है व प्रार्थीगण को बंदखल करने पर आमदा रहते है। व प्रार्थीगण को काश्त करने से मना करते है एवं जबरन नीवें खोदकर निर्माण कार्य करने पर आमदा है जबकि दावा तकासमा का होने से दावे में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार को पक्षकारान के मध्य विधिवत तकासमा प्रस्ताव दोनो पक्षो की मौजूदगी में कर भिजवाये जाने हेतु लिखा गया जा चुका है। तहसील से तकासमा प्रस्ताव प्राप्त होते ही तकासम के आदेश जारी कर दिये जावेगे तब तक अप्रार्थीगण को मौके की यथा–स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते है ताकि मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी रहे एवं पक्षकारो के मध्य अन्य कोई विवाद पैदा नही हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में भली प्रकार से साबित होने से स्थगन आदेश दिनांक 04.07.2019 को ता फैसला वाद कन्फर्म किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार यिका जाकर स्थगन आदेश दिनांक 04.07.2019 का ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.11.29 16:28:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: